

क्रमांक:- एफ.4(ई)निप/लिंक नं. 6090/1991/अलेसे-आ/ 1217

दिनांक :- 24.10.24

आदेश

श्री मुरलीधर शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, वृत्त भीलवाडा को मृतक आश्रित के रूप में विभागीय आदेश संख्या 247/1991 दिनांक 21.10.1991 द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति दी गई। श्री मुरलीधर शर्मा द्वारा अपने आवेदन पत्र में छोटे भाई श्री मनोज कुमार शर्मा को एम.एल.वी. टेक्सटाइल सस्थान, भीलवाडा में कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया। इस संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री मुरलीधर शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल में श्री मुरलीधर शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ का मुख्यालय कोषालय, उदयपुर (ग्रामीण) में रहेगा। श्री शर्मा को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।



(भूपेश माथुर)  
निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)निप/लिंक नं. 6090/1991/अलेसे-आ/ 1217

दिनांक :- 24.10.24

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
2. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, वृत्त भीलवाडा
3. कोषालय उदयपुर ग्रामीण।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. उप निदेशक (जांच) कार्यालय हाजा।
6. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
7. श्री मुरलीधर शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ, मुख्यालय कोषालय उदयपुर ग्रामीण।
8. निजी पत्रावली, एसीआर शाखा, जांच शाखा, पदस्थापन सीट।



(के.जी. गुप्ता)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक)